
भारत में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे*

एन.एस. विश्वनाथन

मुझे प्रसन्नता है आज मैं यहां भारत में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे विषय पर आयोजित एसोशेम के छठे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित हं। किसी भी देश का आर्थिक विकास में ब्नियादी स्विधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अन्य देशों की भांति हमारे देश भारत में भी ब्नियादी स्विधाओं का विकास करना हमारी संवृद्धि रणनीति का महत्वपूर्ण पहलू रहा है, और इसीलिए इस क्षेत्र को प्रत्येक सभी स्टेकहोल्डरों से उनकी भूमिका के अनुरूप महत्व प्राप्त होता रहा है। जैसाकि आप जानते होंगे कि सरकार ने तीन वर्ष के भीतर बुनियादी स्विधाओं में निवेश करने के लिए 25 ट्रिलियन रुपए (376.53 बिलियन अमरीकी डालर) का लक्ष्य रखा है, जिसमें 8 ट्रिलियन रुपए (120.49 बिलियन अमरीकी डालर) 27 औदयोगिक क्लस्टर कर विकास के लिए शामिल है तथा 5 ट्रिलियन रुपए (75.30 बिलियन अमरीकी डालर) की अतिरिक्त राशि सड़क, रेलवे और बंदरगाह से जोड़ने की परियोजनाओं के लिए रखी गई है। यहां यह भी नोट करना उलेल्खनीय होगा कि भारत ने विश्व बैंक के संभारतंत्र निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) 2016 में 19 स्थान ऊपर चढ़ा है और क्ल 160 देशों में

इसकी रैंक 35 है। बुनियादी सुविधाएं जैसे बंदरगाह, सड़क और हवाई अड्डे कुल मिलाकर इस सूचकांक के लिए छह पैरामीटर बनाते हैं। आर्थिक समृद्धता की दिशा में देश की प्रगति की यात्रा में बुनियादी सुविधाएं महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करती हैं और निश्चित ही इस क्षेत्र को कारगर एवं कुशल प्रणाली की आवश्यकता में जो इसे वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए एसोशेम ने यह जो आयोजन किया है वह बह्त ही समसामयिक है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंकों का वर्चस्व है। बुनियादी सुविधाओं को वित्त प्रदान करने में एनबीएफसी की भी भूमिका है। ऐसी एनबीएफसी हैं जिन्हें बुनियादी सुविधाओं में वित्त देने की विशेषज्ञता हासिल है और सरकारी क्षेत्र में कुछ क्षेत्र विशेष को वित्त प्रदान करने वाली एनबीएफसी हैं। नि:संदेह बैंक बुनियादी सुविधा क्षेत्र को सबसे अधिक वित्त प्रदान करते हैं। बुनियादी सुविधा वाले क्षेत्र को बैंक का वित्त बढ़ता ही जा रहा है। बुनियादी सुविधा वाले क्षेत्र को वैंक का वित्त बढ़ता ही जा रहा है। बुनियादी सुविधा क्षेत्र को दिया गया बकाया ऋण मार्च 2001 में 95 बिलियन रुपए था जो मार्च 2016 में बढ़कर 9853 बिलियन रुपए हो गया है, अर्थात् पिछले 15 वर्षों में यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 39.31 प्रतिशत थी। इसमें निश्चित ही वह अविध भी शामिल है जब सड़क परियोजनाओं, बिजली एवं इसी प्रकार की परियोजनाओं को जरूरत से ज्यादा ऋण देना फैशन हो गया था जिसके लिए कोई सावधानी नहीं बरती जाती थी।



^{*} श्री एन.एस. विश्वनाथन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एसोशेम द्वारा आयोजित छठें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुनियादी सुविधाओं को वित्त-नये भारत का निर्माण विषय पर 15 नवंबर, 2016 को दिया गया भाषण

भारिबैं ब्लेटिन दिसंबर 2016

इस असाधारण वृद्धि के अनेक अवांछित परिणाम भी हुए हैं, जैसे अति दबावग्रस्त आस्तियां। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।

कुछेक आर्थिक विशेषताएं हैं जो बुनियादी सुविधाओं कि आस्तियां को अन्य आस्तियों की श्रेणी से अलग करती हैं। यही विशेषताएं निवेश की मांग एवं वित्त की आपूर्ति के बीच मिलान कर पाने को और भी मुश्किल बना देती हैं।

पहली विशेषता, बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाएं प्राय: जिटल स्वरूप की होती हैं और उनमें बड़ी संख्या में पार्टियां शामिल होती हैं। बुनियादी सुविधाओं में प्राय: प्राकृतिक एकाधिकार होता है जैसे महामार्ग अथवा पानी की आपूर्ति, और इसीलिए सरकार इनपर अंतत: अपना नियंत्रण रखना चाहती है ताकि इसके एकाधिकार की शक्तियों का दुरुपयोग न किया जा सके। इसके लिए जिटल क़ानूनी व्यवस्था की आवश्यकता होती है ताकि उससे होने वाले फायदे का सही-सही वितरण हो सके एवं जोखिम साझा किए जा सके ताकि उसमें शामिल सभी पार्टियों को बराबर प्रोत्साहन प्राप्त हो सके।

दूसरी विशेषता, बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाएं आमतौर पर लंबे समय के लिए होती हैं इसलिए नमें कई प्रकार के जोखिम होते हैं जैसे नीतियों में बदलाव होने के कारण, स्वीकृति मिलने में विलंब के कारण आदि। हर बार इनसे होने वाले विलंब से परियोजना की लागत बढ़ जाती है और समय भी अधिक लगता है जिससे परियोजना की तकनीकी-संभाव्यता प्रभावित होती है अथवा परियोजना की समाप्ति पर उसके मूल्य को संशोधित करना पड़ता है। कई बार बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं के उत्पाद लोगों के भले केलिए होते हैं जिससे उनके मूल्यों का सही निर्धारण नहीं हो पाता है।

तीसरी विशेषता यह है कि जहां कर्ज मिलने केलिए पैसा मिलने के बारे में वर्चस्व बैंकिंग प्रणाली का है, वहीं आस्ति-देयता में असंतुलन का बुनियादी मसला बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वर्चस्व के कारण इसमें होना वाला थोड़ा सा जोखिम इनके द्वारा पूरा कर लिया जाता है क्योंकि उनके पीछे सरकार का हाथ होता है इसलिए अपेक्षित पैसे का प्रवाह बना रहता है।

इन कारणों से बुनियादी सुविधाओं को पैसा देना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। वहीं पर बुनियादी सुविधाओं का क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख संचालक के रूप में कार्य करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार बुनियादी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, यह कहने में कोई बड़ा फायदा नहीं है कि इस क्षेत्र को वित्त देने की संभाव्यता बहुत अधिक है। एक आकलन के अनुसार भारत को अगले पांच वर्षों में बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करने केलिए 31 ट्रिलियन रुपए (454.83 बिलियन अमरीकी डालर) की ज़रूरत है, जिसमें से 70 प्रतिशत राशि बिजली, सडक एवं शहरी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए चाहिए। यह जरूरी है कि इसके स्टेकहोल्डरों को इस क्षेत्र के प्रस्तावों में भाग लेने के लिए सही कदम उठाने चाहिए तथा इस अवसर का सही-सही फायदा लेना चाहिए।

मैं तेजी से कुछ महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख करना चाहता हूं जो भारतीय रिज़र्व बैंक ने बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र को निरंतर धन उपलब्ध कराने केलिए उठाए हैं:

- i. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लंबा समय लगता है जिसके दौरान ब्याज के रूप में लगने वाली लागत परियोजना की लागत बनती जाती है, जबिक निर्धारित समय में किसी कमिशयल परिचालन का आरंभ हो जाना महत्वपूर्ण होता है। परियोजना के कार्यान्वयन में विभिन्न कारणों से होने वाले विलंब को ध्यान में रखते हुए परियोजना को और अधिक समय का विस्तार इस शर्त पर दिया गया है वे ऋण के वर्गीकरण में कोई बदलाव नहीं लाएंगे। लागत में थोड़ी सी वृद्धि के लिए वित्त प्रदान किये जाने की अनुमित दी गई है।
- ii. बैंकों को यह अनुमित दी गई है कि वे बुनियादी सुविधा की पिरयोजनाओं के संबंध में अन्य उधार देने वाली संस्थाओं के पक्ष में गारंटी जारी कर सकते हैं बशर्ते कि जो बैंक गारंटी जारी कर रहा है उसका पिरयोजना लागत के कम से कम 5 प्रतिशत तक का दिए गए धन में हिस्सा होना चाहिए और वह पिरयोजना सामान्य ऋण मूल्यांकन, निगरानी एवं अनुवर्तन करेगा। अन्य मामलों में, बैंकों को अन्य बैंकों/उधार देनी वाली संस्थाओं के पक्ष में बाद की संस्था द्वारा दिए गए ऋण हेतु गारंटी जारी करने से अलग रखा गया है। क्योंकि प्राथमिक

उधारदाता को क्रेडिट जोखिम उठाना है न कि वह उसे स्वयं को गारंटी से सुरक्षित रखकर उस जोखिम को किसी अन्य पर डाल दे अर्थात् क्रेडिट जोखिम और निधीयन को अलग-अलग करने की अनुमति नहीं है।

- iii. आमतौर पर कंपनी की इक्विटी पूंजी में प्रवर्तकों का अंशदान उनके स्वयं के स्रोतों से आना चाहिए और सामान्यतया अग्रिम के रूप में राशि न दें जिससे कि अन्य कंपनी के शेयर ले लें। लेकिन, बैंकों को यह अनुमित दी गई है कि वे प्रवर्तकों की इक्विटी के लिए निधि उपलब्ध कराने हेतु उन मामलों में वित्तीय शर्तों के अधीन दे सकते हैं जिन प्रस्तावों में वर्तमान कंपनी में शेयरों के अभिग्रहण का मामला निहित हो और जो कंपनी भारत में बुनियादी सुविधा की परियोजना के कार्यान्वयन या परिचालन में लगी हो।
- iv. बैंकों को यह अनुमित दी गई है कि वे ऋण की राशि की पुनर्रचना उदारतापूर्वक कर सकते हैं (जिसे 5/25 योजना कहा जाता है) ताकि ऋण की चुकौती की समय-सारणी कंपनी के नकदी प्रवाह के अन्रूप हो।
- v. बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बांड के माध्यम से बाज़ार से धन जुटा सकते हैं और इस प्रकार के धन से वित्तपोषित आस्तियों को प्राथमिकताप्राप्त उधार की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त है तथा आरक्षित राशि रखने की अपेक्षा से भी छूट है। हाल ही में हमने बैंकों को इस बात की अनुमति दी है कि वे इस प्रकार का धन मसाला बांड जारी करके भी जुटा सकते हैं।
- vi. एक कुशल बांड बाज़ार बुनियादी सुविधा क्षेत्र के लिए धन जुटाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इससे बैंक के तुलनपत्र को भी कोई जोखिम नहीं रहेगा। हम इस संबंध में अनेक उपाय भी कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए हमने बैंकों को अनुमति दी है कि वे कतिपय शर्तों के अधीन बांड निर्गमों को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट प्रदान करें। सच तो यह है कि हाल ही में हमने बैंकों को बांड निर्गम के 50 प्रतिशत तक संयुक्त रूप से सीई प्रदान करने की अनुमति दे दी है।

- vii. बुनियादी सुविधा क्षेत्र के लिए धन की लागत महत्वपूर्ण भाग है। वहीं पर निर्माण-पूर्व स्तर पर वित्त प्रदान करने वालों को निर्माण से होने वाले जोखिम की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। कई महत्वपूर्ण उपाय इस दिशा में किए गए हैं जैसे आईडीएफ की एनबीएफसी एवं म्युचुअल फंड दोनों के रूप में स्थापना करने की अनुमति देना, बैंकों से निर्माण के बाद आस्तियां ले लेना, वित्तपोषण हटा लेना आदि।
- viii. हमने यह अनुमित दी है कि पीपीपी परियोजनाओं के मामले में उधारदाता द्वारा दी गई राशि की बकाया राशि के लिए रियायत संबंधी करार के अनुसार कतिपय शर्तों के अधीन उस राशि को उस सीमा तक सुरक्षित माना जाएगा जिस सीमा तक परियोजना प्राधिकारी ने आश्वस्त किया है।
- ix. कितपय सुरक्षा व्यवस्था जैसे बुनियादी सुविधा उधार के संबंध में एस्क्रो खाता की उपलब्धता, गैर-ज़मानती बुनियादी सुविधा ऋण खाता जिसे अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसपर अन्य गैर-ज़मानती अवमानक खाते के लिए 25 प्रतिशत की तुलना में 20 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। इस कम प्रावधान करने का लाभ उठाने केलिए बैंक को नकदी प्रवाह को एस्क्रो करने के लिए उपयुक्त प्रणाली रखनी होगी तथा उन नकदी प्रवाहों पर स्पष्ट एवं विधिक प्रथम दावा बनाए रखना होगा।

रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए बैंकों को अतिरिक्त टूलिकट उपलब्ध कराया है। दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए फरवरी 2014 में लागू की गई संरचना के बाद अनेक उपायों की श्रृंखला घोषित की गई हैं। एसएमए2¹ एकस्पोजर के मामले में जेएलएफ का अनिवार्य रूप से गठन करना, दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए सुधारात्मक कार्ययोजना बनाना अथवा वैकल्पिक उपाय करना, वर्तमान मामलों में लचीली पुनर्रचना योजना लागू करना,

¹ विशेष उल्लेख खाता 2- जिसमें मूलराशि और/अथवा ब्याज की राशि 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए देय हो।


एसडीआर, एस4ए आदि, ये सब बैंकों को उपलब्ध कराए गए टूलिकट का हिस्सा थे। उन परियोजनाओं को पूरा करने केलिए अतिरिक्त समय दिया गया जहां प्रबंधन बदल गया था। हमने हाल में ही इन टूलिकट का उपयोग करने के लिए निर्धारित सीमा को कम कर दिया है तािक अधिक से अधिक बड़ी संख्या में संस्थाएं कवर हो सकें।

निर्माण क्षेत्र जो बुनियादी सुविधा क्षेत्र की परियोजनाएं अंजाम देता है, उसे भी हाल में लचीली पुनर्रचना योजना के अंतर्गत ले लिया गया है, ताकि वे भी दबाव से निपट सकें।

मैंने अभी-अभी बुनियादी सुविधा क्षेत्र में दबावग्रस्त आस्तियों के परिदृश्य का उल्लेख किया था। बुनियादी सुविधा क्षेत्र का सकल एनपीए इस क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिम का लगभग 8 प्रतिशत है, जो बैंकिंग क्षेत्र के कुल एनपीए का लगभग 13 प्रतिशत है। पुनर्रचित मानक आस्तियों सहित बुनियादी सुविधा क्षेत्र की कुल दबावग्रस्त आस्तियां बैंकिंग क्षेत्र के इस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का तकरीबन 17 प्रतिशत है तथा कुल दबावग्रस्त आस्तियों का लगभग 21 प्रतिशत है (चार्ट 2)। यह उपयुक्त होगा कि हम इन स्थितियों पर निकट से नज़र डाल लें।

बुनियादी सुविधा क्षेत्र मे दबावग्रस्त आस्तियों का स्तर अधिक रहने के अनेक कारण हैं।

पहला कारण, इस बात की आवश्यकता है कि परियोजना एवं उसके वित्तपोषण की उपयुक्त रूप से रचना की जाए। ये परियोजनाएं लंबे समय की परियोजनाएं होती हैं जिनके लिए इक्विटी और ऋण दोनों की सही-सही मात्रा आवश्यक है। सबसे पहले इन परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा का मुल्यांकन वास्तविक रूप से किया जाना चाहिए ताकि कमर्शियल परिचालनों को शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) क्छ भी रख दी जाए बिना इस बात पर ध्यान दिए कि इस परियोजना को पूरा करने में सामान्य रूप से कितना समय लगेगा। जहां इसके पूरा होने का अपरिवर्तनवादी अन्मान परियोजना की लागत को कम करेगा, वहीं यह भी हो सकता है कि उसमें अत्यधिक दबाव के बीज बो उठें जिसमें समय एवं लागत जरूरत से ज्यादा लग जाए। डीसीसीओ के लिए समय बढ़ाने के कारणों को यदि गौर से देखा जाए तो अधिकांश परियोजनाओं को पूरा करने की तारीख का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और उनका समय अप्रत्याशित रूप से बढ़ाने के जायज कारण नहीं होंगे।



दूसरा कारण, बहुत से मामलों में, चुकौती के लिए जो समय-सारणी बनाई गई थी वह नकदी-प्रवाह के अनुरूप नहीं थी। बातों का छल भी था कि परियोजना से होने वाली आमदनी से पहले ही कम समय में ऋण चुका दिया जाएगा। इससे संस्था निश्चित रूप से दबाव में आ गई, और कई बार ऐसे मामले में चुकौती करने केलिए नए सिरे से उधार ले लिया गया। फलस्वरूप इससे लागत बढ़ गई और दबाव बनता गया। हमने इस समस्या का समाधान कर दिया है और बैकों से कहा है कि वे परियोजना की आर्थिक-समयावधि के 85 प्रतिशत से अधिक ऋण वसूल सकते हैं तािक और अधिक दबाव न बढ़े क्योंकि पूर्व में चुकौती करने की समय-सारणी इस प्रकार नहीं बनाई गई थी।

तीसरा कारण, कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी घटी थीं जैसे नीतियों में परिवर्तन, कच्चे माल का न मिलना तथा इसी तरह के अन्य कारण।

अत: हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इस बढ़िया अवसर को राष्ट्र के प्रति योगदान देने में इस्तेमाल किया जाए तथा इससे अधिक से अधिक फायदा लिया जाए? मेरे विचार से इस प्रश्न का उत्तर पूर्व के अप्रत्याशित अनुभवों में ही निहित है।

- हमें परियोजना का मूल्यांकन बिलकुल सही-सही करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के जोखिमों की पहचान कर ली गई है और परियोजना की अनुसूची मुनासिब तरीके से बनी हुई है। बुनियादी सुविधा को वित्त देने वालों के पास जोखिम उठाने की भूख है तथा परियोजना के मूलभूत सिद्धांतों का आकलन करने, उसकी डिजाइन की उपयुक्तता आंकने एवं अनुमानों पर भरोसा करने की योग्यता है।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि वित्त प्रदान करने केलिए पर्याप्त लिखत एवं स्रोत दोनों की सही-सही मात्रा हो तथा लीवरेज का स्तर उपयुक्त हो।
- परियोजना के लिए एक हिस्से का धन जुटाने केलिए कारपोरेट बांड बाज़ार के स्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाए।
- चुकौती अनुसूची को तरीके से बनाया जाए जो अपेक्षित नकदी-प्रवाह के अन्रूप हो।

 ऋण की कीमत जोखिम के अनुरूप तय की जाए तथा वित्त लचीले ढ़ंग से प्रदान किया जाए जिसमें आस्तियों के जोखिम के प्रोफाइल में होने वाले बदलाव का ध्यान रखा गया हो।

भावी दिशा

बुनियादी सुविधाओं से संबंधित अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के पेपर में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है:

"वित्तपोषण पक्ष की ओर देखें तो चुनौतियां बनी हुई हैं। इस समय बुनियादी सुविधाओं के लिए दिए जाने वाले वित्त में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश और बैंक ऋण का वर्चस्व बना हुआ है। बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्त की सुविधा को तेजी प्रदान करने केलिए अच्छे निवेशकों के समूह को विस्तार देना होगा तथा पूंजी बाज़ार के बड़े पैमाने पर उपलब्ध वित्तीय स्रोतों को इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए जरूरी होगा कि वित्तीय लिखतों का व्यापक मिश्रण तैयार करना होगा। इसके लिए बुनियादी सुविधाओं हेतु निधि एवं बांड दोनों में काफी संभाव्यताएं हैं। जोखिमों को विभिन्न दिशाओं में वितरित कर देने के लिए बैंक ऋण का व्यापक प्रतिभूतिकरण करना होगा। इससे पूंजी बाज़ार के लिखतों में पारदर्शिता का विकास करने में सहायता मिलेगी। उभरते बाज़ारों के लिए वित्तीय बाज़ार का विकास, भरोसेमंद क़ानूनी ढांचा, तथा दीर्घकालिक निवेशकों का आधार तैयार करना आवश्यक है।"

यही वे आवश्यकताएं हैं जिनके लिए हमें कार्य करना है। उम्मीद है कि बैंक ऋण विस्तार के लिए शीघ्र ही कदम उठाएंगे जिससे अन्य खिलाड़ी उन कारपोरेट्स द्वारा जारी बांडों में अभिदान करने केलिए इच्छुक होंगे जो बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं को बनाने का कार्य कर रहे हैं।

यह भी आवश्यक है कि जिनके पास लंबे समय के बाद परिपक्व होने वाली देयताएं हैं उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे ब्नियादी स्विधाओं के लिए धन प्रदान करें।

इसके अलावा, हरित बांड के माध्यम से काफी धन जुटाने की अपार संभावनाएं हैं। पेरिस जलवायु संधि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता है कि वह बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय वातावरण बनाए रखने की ओर ध्यान रखेगा, क्योंकि यह समय की मांग है तथा यह उन परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का वैकल्पिक स्रोत सिद्ध हो सकता है जो वातावरण के प्रति अनुकूल हैं। हमें परियोजना से होने वाले उत्सर्जन को रोकने/बचने/कमी करने के लिए मूल्यांकन/रेटिंग हेतु बेंचमार्क निर्धारित करना होगा तथा इस प्रकार की परियोजनाओं की क्षमता को उपयोग में लाना होगा।

मैं अपनी बात एसोशेम के प्रति एक बार पुन: धन्यवाद देते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय पर अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान किया तथा मुझे आशा है कि पूरे दिन होने वाले विचार-विमर्श में नए और कार्रवाई योग्य चिंतन उभरेंगे ताकि बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र की ओर धन का प्रवाह ज्यादा से ज्यादा हो सके।